न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/147/2024 रजू दिनांकः 19.11.2024 रजि0 न0 2024/260

अपीलार्थीः—

मनाली शर्मा पुत्री श्री बदनसिंह शर्मा, निवासी, तहसील अलवर, जिला अलवर पिनकोड 250002 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 09.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.10.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 25.11.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2286 दिनांक 04.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा RTI Online Portal आवेदन संख्या 293785574442106 दिनांक 12.09..2024 के माध्यम से सिलीसेढ़ में विभिन्न होटल्स के विरूद्व की गई कार्यवाही संबंधी विविध 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। वांछित सूचना में विशिष्टीकृत आदेश की प्रति नहीं चाही जाकर, सृजनात्मक, खोजबीन कर उपलब्ध कराए जाने योग्य सूचना चाही गई साथ ही वांछित सूचना विस्तृत, श्रमसाध्य होने के कारण, उक्त अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधान व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 व परिपत्र दिनांक 16.12.2024 के आलोक में खारिज कर, तद्नुसार ऑनलाईन पोर्टल डिस्पेच सं. 6204411478 दिनांक 04.12.2024 के माध्यम से आवेदन अस्वीकृत कर आवेदक को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 6204411478 दिनांक 04.12.2024 के माध्यम से सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक 2287 दिनांक 04.12.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक **09.12.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)